

किश्तों में आवंटन पत्र का प्रारूप
कार्यालय बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर

पत्रांक
सेवा में,

/वि0प्रा0/2023-24

दिनांक

विषय :- शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गंगानगर में स्थित दुकान सं०-....., अनुमानित क्षेत्रफल-..... वर्गमी० के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गंगानगर में स्थित दुकान सं०-....., अनुमानित क्षेत्रफल-..... वर्गमी० का आवंटन दिनांक को निविदा सह नीलामी के माध्यम से आवंटित किया गया है।

उक्त दुकान की अनुमानित कीमत रु० (10 प्रतिशत कार्नर एवं 10 प्रतिशत लीजरेन्ट चार्ज सहित) है। आपके द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि/टोकन मनी रु० के समायोजन उपरान्त 25 प्रतिशत की अवशेष धनराशि रु० दिनांक तक प्राधिकरण कोष में जमा कराने का कष्ट करें। अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि रु० की आठ त्रैमासिक किश्तें 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित निम्न तालिका के अनुसार जमा करना सुनिश्चित करें :-

क्र०सं०	विवरण	मूलधन	ब्याज 12%	कुल देय धनराशि	देय दिनांक
1	प्रथम किस्त				
2	द्वितीय किस्त				
3	तृतीय किस्त				
4	चतुर्थ किस्त				
5	पंचम किस्त				
6	षष्ठम किस्त				
7	सप्तम किस्त				
8	अष्टम किस्त				

अन्य शर्तें :-

- यदि बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण को देय किश्त का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं किया जाता है, तो 12 प्रतिशत दर पर 3 प्रतिशत दण्ड ब्याज और जोड़कर कुल ब्याज दर निकालते हुए वित्तीय समय पर (डिफाल्टर पीरियड पर) चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में गणना कर ब्याज धनराशि आवंटि से वसूल की जायेगी। देय किश्त का भुगतान तीन महीने की अवधि में न करने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- यदि देय तिथि को अवकाश रहता है, तो अगली तिथि देय तिथि माना जायेगा।
- आवंटि को दुकान को उप-विभाजित करने एवं अन्य किसी दुकान के साथ आमेलित करने का अधिकार नहीं होगा।
- यदि सम्पत्ति का मूल्य रु० 50.00 लाख से अधिक है, तो मूल्य पर देय टी०डी०एस० प्राधिकरण के पैन् नम्बर पर जमा कराना होगा।
- बिजली एवं पानी इत्यादी के कनेक्शन आवंटि को अपने खर्चे पर लेने होंगे।
- उक्त आवंटन पत्र के आधार पर बैंक द्वारा आवंटि को ऋण दिये जाने पर प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः उक्त आवंटन पत्र को ही अनापित्त प्रमाण पत्र माना जाये। बैंक से लिये गये ऋण की अदायगी आवंटि द्वारा स्वयं की जायेगी, जिसके लिए प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- दुकान के भूमि मूल्य पर 10 प्रतिशत लीजरेन्ट चार्ज जोड़ते हुए दुकान का कुल मूल्य निर्धारित किया गया है।
- दुकान का कब्जा साईट प्लान उपलब्ध होने के उपरान्त समस्त देयता जमा होने व पट्टा-विलेख निष्पादित होने के पश्चात् दिया जायेगा।
- आवंटन से सम्बन्धित अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण पुस्तिका (ब्रोशर) में अंकित नियम एवं शर्तों के अनुसार होगी।
- इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले पर उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

सचिव
बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण
बुलन्दशहर

एक मुश्त आवंटन पत्र का प्रारूप
कार्यालय बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर
/ वि० प्रा० / 2023-24

पत्रांक
सेवा में,

दिनांक

विषय :- शॉपिंग काम्पलेक्स गंगानगर में स्थित दुकान सं०-....., अनुमानित क्षेत्रफल-..... वर्गमी० के आवंटन के सम्बन्ध में।
महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक गंगानगर कामर्शियल काम्पलेक्स में स्थित दुकान सं०-....., अनुमानित क्षेत्रफल-..... वर्गमी० का आवंटन दिनांक को निविदा सह नीलामी के माध्यम से आवंटित किया गया है।

उक्त दुकान की अनुमानित कीमत रु० (10 प्रतिशत कार्नर एवं 10 प्रतिशत लीजरेन्ट चार्ज सहित) है। आपके द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि/टोकन मनी रु० के समायोजन उपरान्त 25 प्रतिशत की अवशेष धनराशि रु० दिनांक तक प्राधिकरण कोष में जमा कराने का कष्ट करें।

आपके द्वारा दिये गये एक मुश्त भुगतान के आधार पर अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि रु० आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें।

अन्य शर्तें :-

1. यदि बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण को देय किश्त का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं किया जाता है, तो 12 प्रतिशत दर पर 3 प्रतिशत दण्ड ब्याज और जोड़कर कुल ब्याज दर निकालते हुए वित्तीय समय पर (डिफाल्टर पीरियड पर) चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में गणना कर ब्याज धनराशि आवंटि से वसूल की जायेगी। देय किश्त का भुगतान तीन महीने की अवधि में न करने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि देय तिथि को अवकाश रहता है, तो अगली तिथि देय तिथि माना जायेगा।
3. आवंटि को दुकान को उप-विभाजित करने एवं अन्य किसी दुकान के साथ आमेलित करने का अधिकार नहीं होगा।
4. यदि सम्पत्ति का मूल्य रु० 50.00 लाख से अधिक है, तो मूल्य पर देय टी०डी०एस० प्राधिकरण के पै नम्बर पर जमा कराना होगा।
5. बिजली एवं पानी इत्यादी के कनेक्शन आवंटि को अपने खर्चे पर लेने होंगे।
6. उक्त आवंटन पत्र के आधार पर बैंक द्वारा आवंटि को ऋण दिये जाने पर प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः उक्त आवंटन पत्र को ही अनापित्त प्रमाण पत्र माना जाये। बैंक से लिये गये ऋण की अदायगी आवंटि द्वारा स्वयं की जायेगी, जिसके लिए प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
7. दुकान के भूमि मूल्य पर 10 प्रतिशत लीजरेन्ट चार्ज जोड़ते हुए दुकान का कुल मूल्य निर्धारित किया गया है।
8. दुकान का कब्जा साईट प्लान उपलब्ध होने के उपरान्त समस्त देयता जमा होने व पट्टा-विलेख निष्पादित होने के पश्चात् दिया जायेगा।
9. आवंटन से सम्बन्धित अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण पुस्तिका (ब्रोशर) में अंकित नियम एवं शर्तों के अनुसार होगी।
10. इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले पर उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

सचिव
बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण
बुलन्दशहर